

प्रेषक,
चंचल कुमार तिवारी,
प्रमुख सचिव,
उ०प्र० शासन ।

सेवा में,
निदेशक,
पंचायतीराज,
उ०प्र०, लखनऊ ।

पंचायतीराज अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 04 फरवरी, 2016

विषय : पंचायतीराज विभाग में विभिन्न पदों के सृजन एवं कार्यक्षेत्रों में विस्तार के फलस्वरूप प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2/शा०/204/2015-6/167/83, दिनांक 16-07-2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें ।

2- पंचायतीराज विभाग में विभिन्न पदों के सृजन एवं कार्यक्षेत्रों के विस्तार के फलस्वरूप प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन निम्नलिखित के अनुसार किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्रम संख्या	अधिकार का प्रकार	वर्तमान समय में किसके द्वारा प्रयोग किया जा रहा है।	जिसके द्वारा प्रयोग किया जायेगा।
1	2	3	4
	(क) मण्डलीय उपनिदेशक (पंचायत) कार्यालय के तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सम्बन्ध में।		
1	तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति एवं पदोन्नति व सेवा सम्बन्धी समस्त प्रकरण जैसे- वेतनवृद्धि, आकस्मिक अवकाश, उपाजित अवकाश, चिकित्सा अवकाश, यात्रा व्यय, लघु तथा बृहत् दण्ड एवं स्थायीकरण	मण्डलीय उपनिदेशक (पं.)	मण्डलीय उपनिदेशक (पं.)
2	जी०पी०एफ०अस्थाई स्वीकृत एवं जी०आई०एस० के अग्रसारण	निदेशक, पंचायतीराज उ०प्र०	मण्डलीय उपनिदेशक (पं.)
3	जी०पी०एफ०-स्थायी/अन्तिम निस्कासन	निदेशक, पंचायती राज उत्तर प्रदेश	निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश
4	तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की चरित्र पंजिका में प्रविष्टि अंकन का अधिकार	मण्डलीय उपनिदेशक (पंचायत)	मण्डलीय उपनिदेशक (पं.)
5	उपनिदेशक पंचायत द्वारा दिये गये लघु दण्ड तथा बृहत् दण्ड एवं चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि के विरुद्ध अपील।	निदेशक, पंचायती राज उ०प्र०	निदेशक, पंचायती राज उ०प्र०
6	मण्डल के अन्दर विभिन्न कार्यालयों के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के समस्त कर्मचारियों के मण्डल के	निदेशक, पंचायती राज उ०प्र०	निदेशक, पंचायतीराज उ०प्र०

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

	अन्तर्गत आने वाले जनपदों में स्थानान्तरण ।		
7	तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का मण्डल के बाहर स्थानान्तरण	निदेशक, पंचायती राज उ.प्र.	निदेशक, पंचायतीराज उ.प्र.
	(ख) जिला पंचायत राज अधिकारियों के सम्बन्ध में ।		
1	नियुक्ति	निदेशक, पंचायती राज उ.प्र.	महामहिम श्री राज्यपाल
2	आकस्मिक अवकाश	अतिरिक्त जिलाधिकारी (विकास) /जिला विकास अधिकारी	मुख्य विकास अधिकारी
3	45 दिन तक के अर्जित एवं चिकित्सा अवकाश की स्वीकृति	निदेशक, पंचायती राज उ.प्र.	मण्डलीय उपनिदेशक (पं.)
4	45 दिन से अधिक अर्जित अवकाश एवं चिकित्सा अवकाश की स्वीकृति	निदेशक, पंचायती राज उ.प्र.	निदेशक, पंचायती राज, उ.प्र.
5	भ्रमण कार्यक्रम स्वीकृत, यात्रा भत्ता बीजक नियंत्रण	अतिरिक्त जिलाधिकारी (विकास) / जिला विकास अधिकारी	मुख्य विकास अधिकारी
6	चरित्र पंजिका की प्रविष्टि की संस्तुति	प्रतिवेदक अधिकारी मुख्य विकास अधिकारी	प्रतिवेदक अधिकारी मुख्य विकास अधिकारी /मण्डलीय उपनिदेशक (पंचायत)
7	चरित्र पंजिका की प्रविष्टि का विवेचन	-	समीक्षक अधिकारी निदेशक, पंचायती राज, उ.प्र.
8	चरित्र पंजिका की प्रविष्टि का अंतिम रूप देना	-	सचिव/प्रमुख सचिव पंचायती राज विभाग, उ.प्र.
9	चरित्र पंजिका तथा सेवा विवरण का रख-रखाव	संयुक्त निदेशक,उपनिदेशक (प्रशासन) पंचायतीराज, उ.प्र.	विभागाध्यक्ष/ निदेशक, पंचायती राज, उ.प्र.
	(ग) सहायक जिला पंचायत राज अधिकारियों (प्राविधिक) एवं अपर जिला पंचायत राज अधिकारी के सम्बन्ध में ।		
1	नियुक्ति	निदेशक, पंचायती राज,उ.प्र.	निदेशक, पंचायती राज,उ.प्र.
2	स्थानान्तरण, निलम्बन	निदेशक, पंचायती राज उ.प्र.	निदेशक, पंचायती राज, उ.प्र.
3	आकस्मिक अवकाश	जिला पंचायत राज अधिकारी	जिला पंचायत राज अधिकारी
4	45 दिन तक के अर्जित एवं चिकित्सा अवकाश की स्वीकृति	जिला पंचायत राज अधिकारी	जिला पंचायत राज अधिकारी
5	45 दिन से अधिक अर्जित अवकाश एवं चिकित्सा अवकाश की स्वीकृति	अतिरिक्त जिलाधिकारी (विकास)/जिला विकास अधिकारी	मण्डलीय उपनिदेशक(पंचायत)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

6	वेतन वृद्धियाँ, भ्रमण कार्यक्रम तथा यात्रा भत्ता बीजक नियंत्रण एवं सेवा विवरण का रख-रखाव	जिला पंचायत राज अधिकारी	जिला पंचायत राज अधिकारी
7	चरित्र पंजिका की प्रविष्टि की संस्तुति	प्रतिवेदक अधिकारी जिला पंचायत राज अधिकारी	प्रतिवेदक अधिकारी जिला पंचायतराज अधिकारी
8	चरित्र पंजिका की प्रविष्टि का विवेचन/अंतिम रूप दिया जाना	-	मण्डलीय उपनिदेशक (पंचायत)
9	चरित्र पंजिका का रख-रखाव	संयुक्त निदेशक, उप निदेशक (प्रशासन)	संयुक्त निदेशक/ अपर निदेशक पंचायतीराज, उ.प्र.
	(घ) सहायक विकास अधिकारी (पंचायत)/ पंचायत निरीक्षक (उद्योग)		
1	नियुक्ति	संयुक्त निदेशक/ उपनिदेशक (प्रशासन) पंचायत राज, उ0प्र0	संयुक्त निदेशक /अपर निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0
2	निलम्बन व अनुशासनिक कार्यवाही	अतिरिक्त जिलाधिकारी (विकास)/जिला विकास अधिकारी	मण्डलीय उपनिदेशक (पंचायत) एवं मुख्य विकास अधिकारी
3	स्थानान्तरण, जिलान्तर्गत	जिला पंचायत राज अधिकारी, (अतिरिक्त जिलाधिकारी (विकास) / जिला विकास अधिकारी /जिला विकास अधिकारी की संस्तुति से)	जिला पंचायत राज अधिकारी/ मुख्य विकास अधिकारी
4	मण्डल के अन्तर्गत स्थानान्तरण	मण्डलीय उपनिदेशक (पंचायत)	मण्डलीय उपनिदेशक (पंचायत)
5	मण्डल के बाहर	संयुक्त निदेशक/ उपनिदेशक (प्रशासन) पंचायत राज, उ0प्र0	संयुक्त निदेशक/अपर निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0
6	आकस्मिक अवकाश	क्षेत्र विकास अधिकारी	खण्ड विकास अधिकारी
7	उपार्जित अवकाश तथा चिकित्सा अवकाश (45 दिन तक)	जिला पंचायत राज अधिकारी	जिला पंचायत राज अधिकारी
8	उपार्जित अवकाश तथा चिकित्सा अवकाश 90 दिन तक	अतिरिक्त जिलाधिकारी (विकास)/जिला विकास अधिकारी	मण्डलीय उपनिदेशक (पंचायत)
9	उपार्जित अवकाश तथा चिकित्सा अवकाश (90 दिन से अधिक)	जिलाधिकारी	संयुक्त निदेशक / अपर निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0
10	भ्रमण कार्यक्रम स्वीकृति तथा यात्रा भत्ता बीजक नियंत्रण	क्षेत्र विकास अधिकारी	जिला पंचायत राज अधिकारी
11	वेतन वृद्धियाँ	क्षेत्र विकास अधिकारी	जिला पंचायत राज अधिकारी
12	भ्रमण कार्यक्रम स्वीकृति	क्षेत्र विकास अधिकारी	खण्ड विकास अधिकारी
13	चरित्र पंजिका के प्रविष्टि की संस्तुति	क्षेत्र विकास अधिकारी	खण्ड विकास अधिकारी
14	चरित्र पंजिका के प्रविष्टि की विवेचना/अंतिम रूप दिया जाना	जिला पंचायत राज अधिकारी	जिला पंचायत राज अधिकारी
15	सेवा विवरण का रख-रखाव	जिला पंचायत राज	जिला पंचायत राज अधिकारी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

		अधिकारी	
16	अपील	जिलाधिकारी	निदेशक,पंचायतीराज,उ.प्र.।
	(ड.) जिला पंचायतराज अधिकारी कार्यालय के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सम्बन्ध में ।		
1	नियुक्ति	जिला पंचायत राज अधिकारी	जिला पंचायत राज अधिकारी
2	निलम्बन,अनुशासनिक कार्यवाही	जिला पंचायत राज अधिकारी	जिला पंचायत राज अधिकारी
3	स्थानान्तरण (प्रदेश अन्तर्गत)	निदेशक,पंचायतीराज,उ.प्र.	निदेशक, पंचायतीराज,उ.प्र.
4	स्थानान्तरण (मण्डलान्तर्गत)	मण्डलीय उपनिदेशक (पंचायत)	मण्डलीय उपनिदेशक (पंचा.)
5	प्रतिकूल प्रविष्टि के विरुद्ध प्रत्योवदन	मण्डलीय उपनिदेशक (पंचायत)	मण्डलीय उपनिदेशक (पंचा.)
6	जनपद के बाहर शासकीय यात्राओं हेतु जिला पंचायत राज अधिकारियों को विभागीय वाहन/ अनुबन्धित वाहन के प्रयोग की स्वीकृति प्रदान करना	मण्डलीय उपनिदेशक (पंचायत)	मण्डलीय उपनिदेशक (पंचा.)
7	मण्डल के अन्तर्गत स्थापित पंचायत उद्योगों द्वारा उत्पादित माल का प्रमाण-पत्र जारी करने का अधिकार।	मण्डलीय उपनिदेशक (पंचायत)	मण्डलीय उपनिदेशक (पंचा.)
8	व्यवस्थापकीय सहायता प्राप्त पंचायत उद्योगों में व्यवस्थापकों /कर्मियों की नियुक्ति का अधिकार	मण्डलीय उपनिदेशक (पंचायत)	मण्डलीय उपनिदेशक (पंचा.)
9	लघु दण्ड एवं वृहद दण्ड के विरुद्ध अपील।	मण्डलीय उपनिदेशक (पंचायत)	मण्डलीय उपनिदेशक (पंचा.)
	(च) ग्राम पंचायत अधिकारियों के सम्बन्ध में।		
1	नियुक्ति	जिला पंचायत राज अधिकारी	जिला पंचायत राज अधिकारी
2	निलम्बन, अनुशासनिक कार्यवाही	जिला पंचायत राज अधिकारी	जिला पंचायत राज अधिकारी
3	स्थानान्तरण जिलान्तर्गत	जिला पंचायत राज अधिकारी	जिला पंचायत राज अधिकारी
4	स्थानान्तरण मण्डलान्तर्गत	मण्डलीय उपनिदेशक (पंचायत)	मण्डलीय उपनिदेशक (पंचा.)
5	स्थानान्तरण अन्तर प्रदेशीय	संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक (प्रशासन), पंचायती राज,उ०प्र०	अपर निदेशक/निदेशक पंचायती राज,उत्तर प्रदेश।
6	आकस्मिक अवकाश	सहायक विकास अधिकारी (पं.)	सहायक विकास अधिकारी(पं.)
7	उपार्जित अवकाश तथा चिकित्सीय अवकाश (45 दिन तक)	खण्ड विकास अधिकारी	खण्ड विकास अधिकारी
8	यात्रा भत्ता बीजक नियंत्रण	खण्ड विकास अधिकारी	खण्ड विकास अधिकारी
9	भ्रमण कार्यक्रम की स्वीकृति	सहायक विकास अधिकारी (पं.)	सहायक विकास अधिकारी (पं.)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

10	चरित्र पंजिका में प्रविष्टि की संस्तुति	सहायक विकास अधिकारी(पं.)	सहायक विकास अधिकारी(पं.)
11	चरित्र पंजिका की प्रविष्टि की विवेचना	खण्ड विकास अधिकारी	जिला पंचायत राज अधिकारी
12	चरित्र पंजिका की प्रविष्टि का अन्तिम रूप देना एवं रख-रखाव	जिला पंचायत राज अधिकारी	मण्डलीय उपनिदेशक (पंचा.)
13	सेवा विवरण का रख-रखाव	खण्ड विकास अधिकारी	जिला पंचायत राज अधिकारी
14	प्रतिकूल प्रविष्टि लघु तथा बृहद दण्ड के विरुद्ध अपील	मण्डलीय उपनिदेशक (पंचायत)	मण्डलीय उपनिदेशक (पंचा.)
	(छ) सहायक लेखाकार / लेखाकार एवं लेखा लिपिक		
1	चरित्र पंजिका में प्रविष्टि की संस्तुति	-	जिला पंचायत राज अधिकारी
2	चरित्र पंजिका की प्रविष्टि की विवेचना/अंतिम रूप दिया जाना	-	मण्डलीय उपनिदेशक (पंचा.)
3	लघु दण्ड एवं बृहद दण्ड देना	-	मण्डलीय उपनिदेशक (पंचा.)
4	चरित्र पंजिका का अन्तिम रूप देना एवं रख - रखाव।	-	मुख्य एवं वित्त लेखाधिकारी पंचायती राज निदेशालय, 30प्र0।
	(ज) सफाई कर्मों के सम्बन्ध में		
1	नियुक्ति	जिला पंचायत राज अधिकारी	जिला पंचायत राज अधिकारी
2	निलम्बन अनुशासनिक कार्यवाही	जिला पंचायत राज अधिकारी	जिला पंचायत राज अधिकारी
3	स्थानान्तरण जिलान्तर्गत	जिला पंचायत राज अधिकारी	जिला पंचायत राज अधिकारी
4	आकस्मिक अवकाश	-	सहायक विकास अधिकारी (पं.)
5	अर्जित अवकाश/ चिकित्सा अवकाश	-	जिला पंचायत राज अधिकारी
6	वार्षिक वेतनवृद्धि	-	जिला पंचायत राज अधिकारी
7	चरित्र पंजिका में प्रविष्टि की संस्तुति	-	ग्राम पंचायत अधिकारी
8	चरित्र पंजिका का विवेचन एवं अन्तिम रूप देना	-	सहायक विकास अधिकारी (पंचायत)
9	अनुशासनिक कार्यवाही के अन्तर्गत लघु दण्ड एवं दीर्घ दण्ड देना	-	जिला पंचायत राज अधिकारी
10	सेवा अभिलेखों तथा चरित्र पंजिका का रख-रखाव	-	जिला पंचायत राज अधिकारी
11	अनुशासनिक दण्ड के विरुद्ध अपील	-	मण्डलीय उपनिदेशक (पंचा.)

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त प्रस्तर-2 के अनुसार अधिकारों का प्रतिनिधायन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(चंचल कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव।

संख्या - 1/2016/ 337 (1)/33-1-2016-तद्धिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- 2- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
- 3- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
- 4- समस्त उप निदेशक (पं0), उत्तर प्रदेश ।
- 5- समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी , उत्तर प्रदेश ।
- 6- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, पंचायतीराज विभाग ।
- 7- पंचायतीराज विभाग के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी ।
- 8- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(अरविन्द प्रधान)

उप सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।